

FORM - III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
शमिन्द्रपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार जसिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक नम्बर 147 सन 2024

जी सी एम एस नम्बर 2024/252

हुकम या कार्यवाही मग इनिशियलवा जेत

नम्बर व तारीख
अहकाम ती इस
हुकम की तारीख
म तारी हुए

तामिल
हुकम

01.08.2024

वादी शमिन्द्रपाल सिंह पुत्र मुरकन सिंह जाति नरमिय
निवासी 39 एच बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता
श्री मनीष जागिंड ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एल
आरएक पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण के
संबंध में तहसीलदार रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा जावे। प्रतिवादी को
जसिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.08.2024 को
पेश हो।

24/8/24

वादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट
TDR KPR प्राप्त नहीं। पत्रावली
वास्तुतः इतजार रिपोर्ट दिनांक 24/8/24
को पेश हो।

24/8/24

दफ्तर दर्जिते उपस्थित श्री मान PO साहब अंतर्काश पर
पत्रावली दिनांक 16/10/24 को पेश हो। Kmmz

16/8/24

वादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट TDR KPR
प्राप्त इसी शामिल प्रिन्सल रहे। वक्तस सुनी
मंड व पत्रावली का अवलोकन किया गया।
लिहाना वादी का वादपत्र स्वीकार किया
जाता है। पत्रावली इस अधिसूचना का जारी
हो। पत्रावली की एक प्रति TDR KPR
को पालनाथ प्रेषित हो। पत्रावली निर्गत
होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हुए हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर